

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0030

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

12/12/2023 19:29 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	384
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/12/2023 Time (समय): 19:29 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date and Time (दिनांक और समय): 12/12/2023 19:29 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 90 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): पुलिस चौकी भागल, कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सन्दीप कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): कर्म सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	काला पट्टी, गांव भागल, कैथल, CHEEKA, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	काला पट्टी, गांव भागल, कैथल, CHEEKA, KAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	स.उ.नि. बलविन्द्र			1. ईन्चार्ज पुलिस चौकी भागल, कैथल, CHEEKA, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	उप नि० हरपाल			1. पुलिस चौकी भागल, कैथल, CHEEKA, KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है-
सेवा में,

इन्सपेक्टर साहब,
विजिलैन्स,
श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं सन्दीप कुमार पुत्र कर्म सिंह वासी काला पटटी भागल गांव भागल, थाना चीका, जिला कैथल का रहने वाला हूँ। दिनांक 14.10.2023 को महावीर व कर्म सिंह वासीयान भागल वगैरा के साथ लड़ाई झगडा हो जाने पर महावीर ने मेरे, मेरी माता कृष्णा देवी तथा हमारे पड़ोसी जयपाल उर्फ पौला व जयपाल के लडकों के शेखर व अमन के खिलाफ मुकदमा न. 284/23 थाना चीका मे दर्ज करवाया हुआ है। करीब 4-5 दिन पहले चौकी इन्चार्ज भागल, ASI बलविन्द्र द्वारा बुलाया जाने पर मैं अपने साले सतीश कुमार पुत्र श्री गंगा बिशन वासी कलायत जिला कैथल के साथ चौकी भागल मे गया था ASI बलविन्द्र के पास हमारे मुकदमे का I.O. SI हरपाल भी बैठा हुआ था इन दोनो ने मेरी माता की मुकदमे मे गिरफ्तारी करने बारे डर दिखाया और मेरी माता का नाम मुकदमा से निकालने की ऐवज मे दबाव बनाकर ASI बलविन्द्र व SI हरपाल ने 60,000, (हजार) रुपये रिशवत के तौर पर देने की मांग की फिर हमने घर से साठ हजार रुपये लाकर इनसे चौकी मे सम्पर्क किया, तो मुझे चौकी से बाहर जाने को बोला और मेरे साले सतीश को ASI बलविन्द्र इन्चार्ज व SI हरपाल ने अपने पास दफ्तर मे बैठा लिया, कुछ समय मे सतीश ने मेरे को चौकी से बाहर आकर बताया कि इन पैसों मे से 50,000, ASI बलविन्द्र ने व 10,000 रु. SI हरपाल ने ले लिये है। दिनांक 7.12.2023 को मैं अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए चौकी मे गया, तो ASI बलविन्द्र ने मेरे, मेरे पड़ोसी जयपाल के लडकों अमन व शेखर का नाम मुकदमा से निकालने की ऐवज मे प्रत्येक व्यक्ति के 50,000रु./50,000 रु. मांगे, जबकि अमन व शेखर बिल्कुल बेकसुर है तथा इनके बेकसुर होने के बारे पड़ोसियों व मौजिज व्यक्तियों के शपथ पत्र भी साथ मांगे। उसके बाद मैं 9.12.2023 को दोबारा चौकी भागल मे गया। ASI बलविन्द्र व SI हरपाल दोनो चौकी मे मिले। ASI बलविन्द्र ने शपथ पत्रों के साथ 10,000 रु. रिशवत के तौर पर लाने के लिए और बाकि की रकम अमन व शेखर का नाम मुकदमा से निकालने के बाद राजी हो गया और आज मुझे शपथ पत्र व रिशवत की राशि लेकर बुलाया है लेकिन मैं ASI बलविन्द्र व SI हरपाल को मैं रिशवत की राशि नही देना चाहता और इन दोनो को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। इन दोनो की मैंने रिशवत मांगने बारे रिकार्डिंग भी की हुई है जिसको मैं बाद मे आपको पेश कर दुंगा। कृपा करके करके कानुनी कार्यवाही की जावे।

sd Sandeep

सन्दीप कुमार S/o श्री कर्म सिंह

गांव भागल, त. गुहला

जिला कैथल

मौ. 93063-98067

कार्यवाही पुलिस-आज मन निरीक्षक मय स.उप.नि. निर्भय सिंह न. 21/अम्बाला, स.उप.नि. बलौर सिंह न. 696/जीन्द, मुख्य सिपाही राजीव कुमार न. 427/यमुनानगर, मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र बा सवारी गाडी सरकारी न. HR-03GV-6184 जिसका चालक मुख्य सिपाही हरनेक सिंह न. 568/अम्बाला के वा प्राईवेट गाडी मय लैपटाप, प्रिन्टर व तफतीश बैग हमरा लेकर बराये जांच क्रमांक 02/2023 अम्बाला मे रवाना कैथल का था कि सन्दीप कुमार पुत्र कर्म सिंह वासी गांव भागल, जिला कैथल ने मोबाईल फोन के माध्यम से मन निरीक्षक से रैंड करवाने के सम्बन्ध मे सम्पर्क किया। मेरी हिदायत अनुसार सन्दीप कुमार उपरोक्त मन निरीक्षक को गांव नन्दगढ टी प्वाईट डी.ए.वी. स्कूल के सामने चीका-गुहला रोड पर आकर मिला। जिसने एक उपरोक्त हस्त लिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक नें शिकायत कर्ता से रैंड करवाने बारे पुछताछ की और सन्तुष्ट होने पर अफसरान बाला से आदेश लेने उपरान्त शिकायतकर्ता सन्दीप कुमार उपरोक्त को हिदायत की, कि वह अपने साथ लाई रिशवत की राशि मन निरीक्षक को पेश करे। शिकायतकर्ता ने मेरी हिदायत अनुसार मुबलिंग 500/500 रुपये के 20 नोट कुल 10,000/- रुपये व 4 ब्यान हल्फीया अजाने प्रवीन कुमार पुत्र अमरनाथ, रामचन्द्र पुत्र श्री रामसिंह, सतपाल पुत्र श्री रामकिशन, जगशेर पुत्र श्री रामसिंह वासीयान गांव भागल की सत्यापित छाया प्रतियां मन निरीक्षक को पेश किये। जिनको कब्जा पुलिस मे लेकर अलग से फर्द सुची नोट व ब्यान हल्फीया छाया प्रतियां तैयार की गई। फर्द सुची नोट व ब्यान हल्फीया छाया प्रतियों पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता सन्दीप कुमार उपरोक्त ने अपने-2 हस्ताक्षर किये व उच्च अधिकारियों से राजपत्रित नियुक्त करवाने के लिए आग्रह किया गया और पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला द्वारा नियुक्त किये गये राजपत्रित गवाह बारे जारी आदेश वेटसेप के माध्यम से प्राप्त होने उपरान्त आदेशो

की कापी निकाली गई। श्री गौरव कन्सल, XEN जनस्वास्थ्य विभाग कैथल राजपत्रित गवाह को मोबाईल फोन के माध्यम से एक छाया गवाह के तौर पर अन्य कर्मचारी साथ लेकर गांव नन्दगढ टी प्वाइंट डी.ए.वी. स्कूल के सामने चीका-गुहला रोड पर पहुंचने की हिदायत दी गई। दरखास्त उपरोक्त से स.उप.नि. बलविन्द्र इन्चार्ज चौकी भागल व अनुसन्धान अधिकारी उप निरीक्षक हरपाल पुलिस चौकी भागल द्वारा शिकायतकर्ता सन्दीप कुमार उपरोक्त से मुकदमा न. 284/2023 थाना चीका में से शिकायतकर्ता की माता का नाम निकालने की ऐवज में दबाव बनाकर 60000/- रुपये रिश्वत राशि लेकर तथा सह अभियुक्त अमन व शेखर का नाम निकालने की ऐवज में 10,000/- रुपये और रिश्वत की मांग करने पर स.उप.नि. बलविन्द्र इन्चार्ज चौकी भागल व अनुसन्धान अधिकारी उप निरीक्षक हरपाल पुलिस चौकी भागल के विरुद्ध अपराध धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 व 384 भा.द.स. का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बदस्त मुख्य सिपाही हरनेक सिंह न. 568/अम्बाला के बराये करवाने कायमी मुकदमा दर्ज, प्रबन्धक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला की सेवा में भेजा जा रहा है। कृप्या तहरीर पर अभियोग अंकित करके मिशल अभियोग, नकल मिशल मौका पर व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाये। मन निरीक्षक मय स.उप.नि. निर्भय सिंह न. 21/अम्बाला, स.उप.नि. बलौर सिंह न. 696/जीन्द, मुख्य सिपाही राजीव कुमार न. 427/यमुनानगर, मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र बा सवारी गाडी सरकारी न. HR-03GV-6184 के वा प्राइवेट गाडी मय लैपटाप, प्रिन्टर व तफतीश बैग व शिकायत कर्ता सन्दीप कुमार उपरोक्तके राजपत्रित गवाह व छाया गवाह के इन्तजार में हूं।

अज- गांव नन्दगढ टी प्वाइंट डी.ए.वी. स्कूल के सामने चीका-गुहला रोड।

sd Ramphal

निरीक्षक,

भ्र.नि.ब्यूरो,

उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र।

दिनांक- 12.12.2023

AT- 5.30 pm

अज थाना- लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त बर दरखास्त सन्दीप कुमार पुत्र कर्म सिंह वासी काला पटटी भागल गांव भागल, थाना चीका, जिला कैथल बर खिलाफ चौकी इन्चार्ज भागल, ASI बलविन्द्र व उप नि. हरपाल सिंह, चौकी भागल, थाना चीका जिला कैथल के थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 30 दिनांक 12/12/2023 बा जूम धारा 7 भ्रष्टाचार उनमूलन अधिनियम-1988 व 384 भा0द0सं0 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला अंकित करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट, आने वाले मु.सि. हरनेक सिंह के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। इन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। | यह अभियोग निरीक्षक सोमेश 101/ए भ्र0नि0 ब्यूरो अम्बाला की हाजरी में दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Ramphal Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 754 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): DSP

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)